# (सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है)

वर्तमान में विभागार्न्तगत संचालित समस्त योजनाओं में कार्य किये जा रहे है। जिसके सापेक्ष लाभार्थियों की सूची कार्यालय में रक्षित रहेगी तथा योजनानुसार ही कार्य किया जायेगा।

**विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापो/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक नियमों का कार्यक्रमवार विवरण–**

1– जो भी किसान रेशम की गतिविधियो से जुड़ने का इच्छुक हो नजदीकी रेशम फार्म/केन्द्र में जाकर सम्पर्क स्थापित करते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कर सकता है।

2– सामान्य/अनु0जाति/जन जातिः–19 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामान्य जाति।

3– कलस्टर में रेशम फार्म को अंगीकृत करने वाले किसानो के लिए केन्द्रपोषित योजना सिल्क समग्र में रेशम कीटपालन कार्य हेतु लाभान्वित किया जाता है।